राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

भू जल विभाग, जोधपुर

निष्पादन आय–व्ययक

2012–13

आमुख

भू–जल विभाग का वर्ष 2012–2013 का निष्पादन आय व्ययक प्रस्तुत कर रहा है । इसमें विभाग के आय–व्ययक विवरणों के साथ ही भू–जल विभाग की प्रमुख गतिविधियों का समावेश किया गया है । इस प्रलेख को जितना सम्भव हो सका है, विद्यान सभा के लिये उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है, तथापि इसमें सुधार हेतु सुझावों का स्वागत है ।

भू जल विभाग, सम्पूर्ण राजस्थान में नलकूपों का निर्माण, खुले कुओं को बोरिंग और ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने और भू–जल सर्वेक्षण कर भूमिगत जल भण्डारों की खोज कर रहा है । इस विभाग के सतत् प्रयत्नों का स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि तथा सिंचाई के लिये पर्याप्त जल व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

मार्च, 2012

अति. मुख्य सचिव
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
एवं भू–जल विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

विषय सूची

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण	1–2
विभागीय संगठन	2–3
कार्य–कलाप	4
वित्तीय विवरण	5
वित्तीय आवश्यकताओं का विषयवार वर्गीकरण	6–7
वित्तीय व्यवस्था के स्त्रोत (2012–2013)	8
वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण	
(1) बजटमद भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	8–9
(2) बजटमद 01 निर्देशन एवं प्रशासन	9
(3) बजटमद 02 कुओं और तालाबों का निर्माण तथा उन्हें गहरा करना कार्यकारी	9–12
(4) राजस्व प्राप्तियाँ	12
(5) प्रशिक्षण	12–13
(6) राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना	13–15
(7) यूरोपियन कमीशन	15

राजस्थान सरकार

भू – जल विभाग, जोधपुर

निष्पादन आय-व्ययक 2012-2013

प्रस्तावना :

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में जल का प्रमुख स्थान है । राजस्थान प्रदेश में वर्षा की नितान्त अनिश्चितता और जलाशयों में सीमित मात्रा में जल उपलब्धता के कारण प्रदेश में जल मॉग की आपूर्ति मुख्यतः भू–जल संसाधन पर आश्रित है । जनसंख्या में वृद्धि और सिंचित क्षेत्रों के बढ़ने के कारण भू–जल के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है । इस परिप्रेक्ष्य में भू–जल विभाग का भूमिगत जल संसाधनों की भण्डारण एवं जलदेय क्षमता अक्षुण्य बनाये रखने का दायित्व है । विभाग के सतत् और सफल प्रयासों से रेगिस्तानी जिलों में जल की उपलब्धता बढ़ी है तथा पहाड़ी जिलों में जल स्तर में परिवर्तन को भी सीमित रखने में सफलता मिली है ।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण :–

राज्य सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग मुख्य रूप से निम्न योजनाओं को क्रियान्वित करता हैं –

1. विस्फोटन (ब्लास्टिंग) द्वारा कुऐ गहरे करना ।
2. जनजाति कृषकों के लिये निम्न योजनाओं के अन्तर्गत कुओं को गहरे करना–
   (क) जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास योजना ।
   (ख) परिवर्तित क्षेत्र विकास योजना
3. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों के कुओं को विस्फोटन द्वारा गहरा करना ।
4. साधारण क्षेत्र में स्थित कुओं में बोरिंग व नलकूपों का निर्माण –
   (क) जलदाय विभाग तथा अन्य विभाग के लिये नलकूपों का निर्माण
   (ख) अन्य योजनाओं के अन्तर्गत तथा जन साधारण की आवश्यकता पूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण ।
5. सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य :

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के अन्तर्गत विभाग वर्ष 2012–2013 में निम्न कार्य सम्पादित करेगा –

(ए) (1) की–वेल मोनिटरिंग

(2) जल नमूनों का सर्वेक्षण

(3) भू–भौतिक सर्वेक्षण एवं भू–जल खोज

(बी) वर्ष 2012–2013 में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है :–

(1) तीनों पायलेट क्षेत्रों में 70 ग्राम पंचायत स्तरीय समिति (जी.पी.एल.सी.) के गठन का कार्य किया जा चुका है । भू जल प्रबन्धन हेतु पायलेट एरिया भू जल प्रबन्धन संस्थाओं (जी.डब्ल्यू.एम.ए.) का गठन भी किया जा चुका है । ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों द्वारा निर्णयानुसार भूजल प्रबन्धन हेतु भू–जल रिचार्ज एवं भूजल की खपत में कमी लाने सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है ।

(2) तीनों पायलेट क्षेत्रों की भू–जल प्रबन्धन पंचायत स्तरीय कमेटी स्वयं द्वारा किये जाने हेतु आवश्यक संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये है तथा इन कमेटी के कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

(3) भू जल प्रबन्धन हेतु तीनों पायलट क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों को प्रशिक्षित कर दिया गया एवं भू–जल प्रबंधन उनके स्तर पर ही किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष में भी किया जाना है ।

(4) राज्य में सभी हितधारकों को भूजल की वर्तमान स्थिति, भविष्य में अपनाये जाने वाले जल संरक्षण, पुर्नभरण वृद्धि आदि को दर्शाते हुए भू जल की परिदृश्य की जिलेवार/पंचायत समिति वार पुस्तिकाऐं प्रकाशित की जायेगी साथ ही राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सेमीनारों का आयोजन किया जायेगा ।

6. केन्द्रीय कार्यशाला ।

7. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र ।

<u>विभागीय संगठन :</u>

विभाग का संचालन मुख्य अभियन्ता की देखरेख में होता है। उनके अधीन अभियांत्रिकी वृत तथा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान वृत कार्यरत है। जो क्रमशः तीन अधीक्षण अभियन्ताओं व तीन अधीक्षण भू–जल वैज्ञानिकों की देख–रेख में कार्य करते है । अधीक्षण अभियन्ताओं के मुख्यालय जोधपुर, जयपुर, उदयपुर में स्थित है तथा अधीक्षण भू–जल वैज्ञानिकों के मुख्यालय जोधपुर, जयपुर व उदयपुर में स्थित है ।

इसके अतिरिक्त एक अधीक्षण अभियन्ता (के.भण्डार), एक अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) तथा एक अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनकी सहायक (प्रथम) तथा एक वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक (द्वितीय) के रूप में कार्यरत है । मुख्यालय पर लेखा सम्बन्धी कार्य में परामर्श एवं सहयोग हेतु मुख्य लेखाधिकारी का पद स्वीकृत है ।

क्र. सं. कार्य का विवरण	जिले एवं कार्यक्षेत्र
(1) अभियांत्रिकी शाखा	
(क) अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर	
1. पेयजल, सिंचाई तथा विभिन्न संस्थानों के लिये नलकूपों का निर्माण व साधारण कुओं में बोरिंग ।	जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, नागौर एवं जालौर ।
2. ब्लास्टिंग इकाईयों द्वारा साधारण कुओं को गहरा करना ।	–उपरोक्तानुसार–
(ख) अधीक्षण अभियन्ता, जयपुर	
1. पेयजल, सिंचाई तथा विभिन्न संस्थानों के लिये नलकूपों का निर्माण व साधारण कुओं में बोरिंग ।	जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, टोंक सवाईमाधोपुर, बीकानेर, चुरु गंगानगर, हनुमानगढ़ व करौली ।
2. ब्लास्टिंग इकाईयों द्वारा साधारण कुओं को गहरा करना ।	–उपरोक्तानुसार–
(ग) अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर	
1. पेयजल, सिंचाई तथा विभिन्न संस्थानों के लिये नलकूपों का निर्माण व साधारण कुओं में बोरिंग ।	उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, बारां, चितौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बून्दी, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़
2. ब्लास्टिंग इकाईयों द्वारा साधारण कुओं को गहरा करना ।	–उपरोक्तानुसार–
(2) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान शाखा :–	
(क) अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़
(ख) अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, उदयपुर	उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, डूॅंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमन्द, प्रतापगढ,
(ग) अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, जयपुर	जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुन्झुनू, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली ।

कार्यकलाप (आयोजना भिन्न) :

आयोजना भिन्न के तहत वर्ष 2012–2013 में रूपये 5892.06 लाख का प्रावधान रखा गया है । जिसके तहत विभाग के नियमित कार्यक्रम नलकूप निर्माण कुओं में वेधन व विस्फोटन का कार्य तथा भू–जल सर्वेक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे ।

कार्यकलाप (राज्य योजना) :

विभाग की वर्ष 2012–2013 की वार्षिक योजना रूपये 19.95 लाख की निर्धारित की गई है । इसके अन्तर्गत भवन निर्माण के कार्य किये जायेंगे ।

वित्तीय विवरण

(रूपये लाखों में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	वास्तविक व्यय लेखा वर्ष 2010-2011			आय व्ययक वर्ष 2011-2012			संशोधित अनुमान वर्ष 2011-2012			आय व्ययक वर्ष 2012-2013		
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
1	2702– लघु सिंचाई 02 भू–जल, 005–अन्वेषण (01) भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	1260.28	---		1537.51	---	---	1309.47	---	---	1462.84	---	---
	800 अन्य व्यय (01) कूप द्वारा भू–जल कृत्रिम पुनर्भरण 28 विविध व्यय	---	---	8.30	---	---	0.01	---	---	10.26	---	---	0.01
	03 रखरखाव, 103 नलकूप (ट्यूबवैल) 01 कुओं और तालाबों का निर्माण एवं उन्हें गहरा करना। (01) निर्देशन एवं प्रशासन ।	452.41	---	---	548.15	---	---	500.52 1.62 (प्रभृत)	---	---	551.92 0.01 (प्रभृत)	---	---
	(02) कार्यकारी	3707.85	---	---	3928.35	---	---	3770.85	---	---	3877.30	---	---
2	4702 – लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 102 –भूजल (01) भू–जल विभाग द्वारा संचालित कार्य (आयोजना) (01) मशीनरी आदि का क्रय		---	---	---	0.01	---	---	---	---	---	0.01	---
	(02) भवन निर्माण		36.44	---	---	69.14	---	---	69.14	---	---	15.78	---
3	4702 – लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (01) भू–जल विभाग के माध्यम से 17 वृहद निर्माण कार्य	---	--- ---	--- ---	--- ---	--- 11.61	--- ---	--- ---	--- 11.61	--- ---	--- ---	--- 4.16	--- ---
	योग (1) दत्तमत	5420.54	36.44	8.30	6014.01	80.76	0.01	5580.85	80.75	10.26	5892.06	19.95	0.01
	(2) प्रभृत	---	---	---	---	---	---	1.62	---	---	0.01	---	---

विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	उद्देश्य	वास्तविक व्यय लेखा वर्ष 2010-11			आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-12		
		आयोजन भिन्न	आयोजन	के.प्र.यो.	आयोजन भिन्न	आयोजन	के.प्र.यो.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संवेतन	3161.57	---	---	39.15	---	---
2.	मजदूरी	0.63	---	---	0.55	---	---
3.	यात्रा व्यय	71.87	---	---	72.00	---	---
4.	चिकित्सा व्यय	34.64	---	---	30.00	---	---
5.	कार्यालय व्यय	39.00	---	---	35.50	---	---
6.	कार्यालय वाहनों का संधारण	2.89	---	---	2.95	---	---
7.	किराया कर / दर व रॉयल्टी	13.72	---	---	13.18	---	---
8.	वृतिक एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय	0.44	---	---	1.00	---	---
9.	छात्रवृति एवं वजीफा	1.54	---	---	1.00	---	---
10.	लघु निर्माण कार्य	0.49	---	---	1.00	---	---
11.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों संधारण	20.75	---	---	20.00	---	---
12.	अनुरक्षण एवं मरम्मतें	999.87	---	---	900.51	---	---
13.	सामग्री एवं प्रदाय	999.58			951.50		
14.	अन्य प्रभार (विविध व्यय)	67.81	---	---	50.00	---	---
15.	डिक्री संबंधी व्यय	0.00	---	---	00.01	---	---
16.	वाहन किराया	0.00	---	---	0.01	---	---
17.	श्रमिक कल्याण कोष	0.00	---	---	0.01	---	---
18.	मशीनरी आदि का क्रय	0.00	---	---	0.00	0.01	---
19.	भवन निर्माण	0.00	36.44	---	0.00	69.14	---
20.	कृत्रिम रिचार्ज स्ट्रक्चर	0.00	---	8.30	0.00	---	0.01
21.	मशीनरी एवं साज समान / औजार एवं संयत्र	0.00	---	---	0.00	---	---
22.	वर्दी व्यय	3.67	---	---	4.44	---	---
23.	अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	7.95	---	---	8.37	---	---
24.	वाहनों का क्रय	0.00	---	---	6.00	---	---
25.	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	---	---	---	---	11.61	---
	योग	**5420.54**	**36.44**	**8.30**	**6014.01**	**80.76**	**0.01**

विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12			आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13		
	आयोजन भिन्न	आयोजन	के.प्र.यो.	आयोजन भिन्न	आयोजन	के.प्र.यो.
1	2	3	4	5	6	7
1-	3372	...	...	3810	...	...
2-	1.05	...	...	1.05	...	...
3-	72.00	...	...	72.00	...	...
4-	33.00	...	...	25.80	...	...
5-	37.00	...	...	37.00	...	...
6-	3.10	...	...	3.10	...	...
7-	14.92	...	...	13.31	...	...
8-	1.25	...	...	1.00	...	...
9-	1.00	...	...	1.00	...	...
10-	0.50	...	...	0.50	...	...
11-	21.00	...	...	21.00	...	...
12-	1000.50	....	....	900.50	....	....
13-	951.50	...	...	951.50	...	...
14-	50.00	...	...	50.50	...	...
15-	1.62	...	...	0.01	...	...
16-	0.01	...	...	1.00	...	...
17-	0	....	...	0.00	...	...
18-	0	0.01	...	0.00	0.01	...
19-	0	69.14	...	0.00	15.78	...
20-	0	...	10.26	0.00	...	...
21-	0	...	...	0.00	...	0.01
22-	3.29	...	...	3.29	...	...
23-	12.72	...	...	---	...	...
24-	6.00	...	...	---	...	...
25-	-	11.61	...	---	4.16	...
	5582.46	**80.75**	**10.26**	**5892.06**	**19.95**	**0.01**

वित्तीय व्यवस्था के स्त्रोत वर्ष 2012-2013

क्रं. सं.	मद	अयोजन भिन्न	आयोजन	के.प्र.यो.
1.	2702–लघु सिंचाई 02 भू–जल 005–अन्वेषण (01) भू–जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	1462.84	—	
	800 अन्य व्यय (01) कूप द्वारा भू–जल कृत्रिम पुनर्भरण 28 विविध व्यय			0.01
2.	03 रखरखाव 103 नलकूप (टयूबवैल) (01) कुओं और तालाबों का निर्माण एवं उन्हें गहरा करना (01) निर्देशन एवं प्रशासन (02) कार्यकारी	 551.93 3887.30	 — —	 — —
3.	4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 102 – भूजल (01) भू–जल विभाग द्वारा संचालित कार्य (01) मशीनरी आदि का क्रय (02) भवन निर्माण		 0.01 15.78	 — —
4.	4702 – लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796– जनजातीय क्षेत्र – उपयोजना (07) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (01) भू–जल विभाग के माध्यम से 17 वृहद निर्माण कार्य	— —	— 4.16	
	योग	**5892.07**	**19.95**	**0.01**

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण :–

A. 2702 लघु सिंचाई 02–भू जल 005 अन्वेषण

(1) भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान : रूपये लाखों में

संशोधित अनुमान वर्ष 2011-2012			बजट अनुमान वर्ष 2012-2013		
आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
1309.47	–	–	1462.84	–	–

योजनाएं तथा उपलब्धियां :

राज्य के भूमिगत जल का वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करना, पानी की रासायनिक जॉच करना, मौजूदा जल स्त्रोतों की वृद्धि की सम्भावनाओं का पता लगाना जैसे कार्यकलाप इस योजना में सम्मिलित है । विभाग द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों में उपरोक्त कार्यकलापों के तहत मॉनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

क्र. सं किये गये कार्यो का विवरण	की-वैल मॉनिटरिंग (आयोजना भिन्न)
1. कुओं का सर्वेक्षण	15272
2. जल के नमूनों का एकत्रीकरण विश्लेषण	12320
3. जल रासायनिक परीक्षण	8484
4. जियोफिजिकल साउण्डिंग	537

स्वीकृत स्टाफ का विवरण :–

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद में आयोजना भिन्न में कुल स्टॉफ 380 पद स्वीकृत हैं।

B-2702 लघु सिंचाई 103–नलकूप 03–रखरखाव

(01)कुओं और तालाबों का निर्माण एवं उन्हें गहरा करना –

(01) निर्देशन एवं प्रशासन **राशि रूपये लाखो में**

संशोधित अनुमान वर्ष 2011-2012			बजट अनुमान वर्ष 2012-2013		
आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
500.52	–	–	551.92	–	–

इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विभाग के निर्देशन एवं प्रशासन सम्बन्धी व्यय होता है। मुख्य अभियन्ता कार्यालय तथा चार अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर जयपुर, उदयपुर, केन्द्रीय भण्डार के कार्यालयों का व्यय इस मद में किया जाता है। सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का भी मार्गदर्शन तथा प्रशासन मुख्य अभियन्ता द्वारा होता है। विभाग के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का व्यय भी इस मद से किया जाता है।

वर्ष 2011–2012 के लिए निर्देशन एवं प्रशासन मद में आयोजना भिन्न में कुल 172 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत है।

C. 2702 लघु सिंचाई 103– नलकूप 03–रखरखाव

(01) कुओं और तालाबों का निर्माण एवं उन्हें गहरा करना –

(02) कार्यकारी **राशि रूपये लाखो में**

संशोधित अनुमान वर्ष 2011-2012			बजट अनुमान वर्ष 2012-2013		
आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.
3770.85	0.00	0.00	3877.30	0.00	0.00

<u>स्वीकृत स्टाफ का विवरण :–</u>

आयोजना भिन्न में कार्यकारी उपमद में कुल 911 पद स्वीकृत है । कार्यकलापो की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये विभाग को वित्त विभाग के आदेश संख्या प. (4) वित्त/साविलेनि/87 दिनांक 11.12.87 द्वारा वाणिज्यिक विभाग की सूची से विलोपित (DELETE) किया गया है । कार्यो के सम्पादन हेतु वर्ष 2011–2012 में विभाग के पास निम्न इकाईयां कार्यरत है :–

1.	विस्फोटन इकाईयां	30
2.	रोटरी रिग्स इकाईयां	27
3.	डी.टी.एच.रिग्स इकाईयां	11
4.	पम्प इकाईयां	11

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले वेधन/विस्फोटन कार्यो हेतु चार्ज की जाने वाली दरें

विभिन्न प्रकार के कार्यों के सम्पादन के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (89) भूजल/वि/91 दिनांक 29.12.94 के द्वारा दिनांक 17.8.94 से दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई है । इकाईयों द्वारा किये जा सकने वाले वास्तविक कार्य को ध्यान में रख इन कार्यो से हो सकने वाले राजस्व का अनुमान किया जाता है ।

1.	रोटरी रिग ड्रिलिंग	1238/– प्रतिमीटर
2.	परक्यूशन रिग ड्रिलिंग 12" X 10"	2115/– प्रतिमीटर
3.	डी.टी.एच. 250 एम. एम. डाया ड्रिलिंग	1076/– प्रतिमीटर
4.	डी.टी.एच. 200 एम. एम. डाया 8" बोर	676/– प्रतिमीटर
5.	डी.टी.एच. 150 एम.एम. से 162 एम. एम. डाया ड्रिलिंग 6" बोर	530/– प्रतिमीटर
6.	डी.टी.एच. 100 एम. एम. से 112 एम. एम. डाया ड्रिलिंग 4" बोर	400/– प्रतिमीटर
7.	डवलपमेंट चार्जेज	295/– प्रतिमीटर
8.	एसेम्बली चार्जेज 10" x 8"	1112/– प्रतिमीटर
	10" x 6"	980/– प्रतिमीटर
	8" x 8"	980/– प्रतिमीटर
	8" x 6"	838/– प्रतिमीटर
	6" x 6"	728/– प्रतिमीटर
	4" x 4"	274/– प्रतिमीटर
9.	एसेम्बली लोवरिंग व ग्रेवल पैकिंग	295/– प्रतिमीटर
10.	पम्प टेस्टिंग चार्जेज	15230/– प्रति ट्यूबवैल

11. स्टेम टेस्टिंग चार्जेज 13095 / – प्लस	394 / – प्रतिमीटर
12. ऑपरेशन ऑफ जेनरेटिंग सेट 60 के.वी.	287 / – प्रति घण्टा
13. लोगर टेस्टिंग चार्जेज 30640 / – प्लस	394 / – प्रतिमीटर
14. ऑपरेशन ऑफ वैल्डिंग सेट एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एवं एस्टेब्लिशमेन्ट सुपरविजन प्रति घण्टा	67.50 / – प्रति घण्टा
15. ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ कम्प्रेशर एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एवं एस्टेब्लिशमेन्ट सुपरविजन प्रतिघंटा	
(1) हैवी ड्यूटी कम्प्रेशर 324 / – प्रतिघण्टा	
(2) कम्प्रेशर (250 C.F.M. से 350 C.F.M.)	159 / – प्रतिघण्टा
(3) कम्प्रेशर (170 C.F.M. से 250 C.F.M.)	132 / – प्रतिघण्टा
16. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज	13 / – प्रति किमी.
17. विस्फोटन की दरें	45 / – प्रति होल (न्यूनतम चार्जेज 540 / –)

उपशासन सचिव– 11, भू जल विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 11(89)GWD/91 जयपुर दिनांक 22.12.2007 द्वारा पाईप एसेम्बली की दरें निम्नानुसार संशोधित कर दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी की गई है :–

1 पाईप एसेम्बली चार्जेज	10" x 10"	1842 / – प्रतिमीटर
	10" x 8"	1465 / – प्रतिमीटर
	10" x 6"	1288 / – प्रतिमीटर
	8" x 8"	1050 / – प्रतिमीटर
	4" x 4"	514 / – प्रतिमीटर

<u>विस्फोटन द्वारा कुएं गहरे करने का कार्य :–</u>

राज्य के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था कुओं पर आश्रित है, परन्तु भूमि के अन्दर कड़ा पत्थर होने के कारण परम्परागत साधनों से वांछित गहराई तक कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं । इस कारण कुओं में पानी की प्राप्तियां नगण्य रहती है, विभाग ऐसे कुओं को विस्फोटन इकाईयों द्वारा गहरा कर उनकी जल क्षमता को बढ़ाता है । यह अधिकांश कुएं छोटे किसानों के हैं । इनमें जल की मात्रा बढ़ने से उनको राहत मिलती है ।

वर्ष 2011–2012 एवं माह दिसम्बर 2011, तक का वास्तविक कार्य और वर्ष 2012–2013 के लक्ष्यों की स्थिति निम्नानुसार है :–

विस्फोटकीय इकाईयां	लक्ष्य प्रति यूनिट (लाखों में)	वास्तविक उपलब्धि 2010–11 (लाखों में)	वास्तविक उपलब्धि 2011–12 माह 12/11 (लाखों में)	अनुमान 2012–13 (लाखों में)	कुओं की संख्या 2010–11	कुओं की संख्या 2011–12 (माह 12/11 तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
30	4.32	62.57	56.98	129.60	1001	1102

कुओं में वेधन व नलकूपों का निर्माण :–

अर्द्ध पर्वतीय चट्टानी क्षेत्र में स्थित कुओं में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिये परक्यूशन रिगों द्वारा वेधन किया जाता है । नलकूप भूमि की सतह से ही बनाये जाते है । नलकूप का निर्माण नरम मिट्टी वाले अर्द्ध पर्वतीय चट्टानी इलाकों में रोटरी रिग या परक्यूशन रिग से किया जाता है, जबकि पर्वतीय एवं आग्नेयक चट्टानों वाले क्षेत्र में वायुदाब से चलने वाली डी.टी.एच.रिग काम में ली जाती है । जलदाय विभाग, अन्य सरकारी विभागों, उद्योगों एवं काश्तकारों के लिए विभाग द्वारा नलकूप बनाये जा रहे है व कुओं में बोरिंग किया जा रहा है । वर्ष 2010–2011 एवं 2011–2012 में माह 12/2011 तक के लक्ष्य/उपलब्धियां तथा वर्ष 2012–2013 के लक्ष्य निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	मशीन का विवरण	लक्ष्य प्रति मशीन (मीटर में)	मशीनों की संख्या	उपलब्धियों 2010–11 (मीटर में)	लक्ष्य 2011–12 माह 12/11 तक	उपलब्धियां 2011–12 माह 12/11 तक	लक्ष्य 2012–13
1	2	3	4	5	6	7	8
2	रोटरी	1500	27	30995	29050	25048	39000
	हैवी ड्यूटी कोम्बीनेशन/ डि.टी.एच.	6000	4	28958	18000	23214	24000
3	ड़ी.टी.एचं. 4"	2400	2	6320	1800	4741	4800
4	ड़ी.टी.एच. 6"	4800	5	19476	11600	18049	24000

वर्ष 2011–2012 में माह 12/2011 तक 614 कुओं का निर्माण वेधन कार्य से किया गया है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है ।

क्र.सं. विवरण	नलकूप	डी.सी.बी.	हैण्डपम्प	पीजोमीटर	कुल
1. जलदाय विभाग	252	–	268	–	520
2. सर्वे. एवं अनुसंधान	–	–	–	92	92
3. अन्य सरकारी एजेंन्सी हेतु	2	–	–	–	2
4. प्राईवेट	–	–	–	–	–
योग	254	–	268	92	614

राजस्व प्राप्तियों :–

वर्ष 2010–2011 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रू. 2400.00 लाख के विरूद्ध कुल वास्तविक प्राप्तिया रू. 1582.32 लाख थी । चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिये राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रू. 3000.00 लाख निर्धारित किया गया जिसे संशोधित कर 3000.02 लाख रखा गया है । चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 2011 तक वास्तविक राजस्व प्राप्तिया रू. 1034.71 लाख है । वर्ष 2012–2013 के लिये राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य रू. 2000.02 लाख निर्धारित किया गया है ।

प्रशिक्षण :–

प्रशिक्षण स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है –

वर्ष	अधिकारी	अन्य	योग
2011–12	–	7	7

विभाग में प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीनतम विकसित तकनीकी व अभियांत्रिकी पद्धति पर विभिन्न सम्बन्धित विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यांत्रिक व तकनीकी कार्यों से सम्बन्धित उत्पादकों व वितरकों से प्राप्त नवीनतम विधियों व निर्माणों पर संस्थान गोष्ठियां व लघु व्याख्यानों का समय–समय पर आयोजन किया जाता है। संस्थान के पास उपलब्ध फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाईड प्रोजेक्टर व एपीडाईस्कोप के जरिये नवीनतम तकनीकी पर तैयार शुदा ज्ञान का प्रदर्शन समय–समय पर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष किया जाता है।

प्रशिक्षण के इस क्रम में इस वर्ष 11–12 में माह दिसम्बर तक 7 प्रयोगशाला सहायक, पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया ।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना :–

वर्तमान में राज्य में पेयजल की लगभग 94 प्रतिशत योजनाएं एवं सिंचाई जल की 70 प्रतिशत योजनाएं भू जल स्त्रोतों पर आधारित है इन सबके कारण भूजल का दोहन तो बहुत अधिक बढ़ गया है परन्तु उसके साथ भूजल भण्डार पुनः भरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जिस कारण राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा है तथा इसकी रसायनिक गुणवत्ता भी खराब हो रही है । इसी कारण जल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा पोषित "राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना" प्रारम्भ की है । इसके अन्तर्गत दीर्घकालीन भूजल प्रबन्धन हेतु जन सहभागिता से तीन क्षेत्रों में पायलेट परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ।

इस परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सहभागिता के आधार पर भूजल

प्रबन्धन, भू जल संरक्षण, भू जल पुनर्भरण एवं नियन्त्रित भूजल का दोहन सहभागिता द्वारा किया जाकर भूजल की उपलब्धता अधिक समय तक सुनिश्चित की जा सकेगी ।

विश्व बैंक की सहायता से राज्य में संचालित उपरोक्त परियोजना में भूजल स्त्रोतों के सतत् विकास हेतु जल प्रबन्धन का महत्त्वपूर्ण घटक है तथा परियोजना के अन्तर्गत भूजल कार्य योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2002–2003 के तृतीय त्रैमास से प्रारम्भ किया गया । परियोजना में भूजल घटक हेतु कुल रूपयें 4361.20 लाख का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 219.60 लाख व्यय हुआ तथा वर्ष 2007–08 में रूपये 561.88 लाख एवं वर्ष 08–09 में 406.85 लाख वर्ष 2009–10 में इन कार्यो पर 172.19 लाख तथा वर्ष 2010–11 में राशि 23.01 लाख व्यय हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में माह जनवरी, 2012 तक 48.87 लाख रूपये तथा आगामी दो माह में 110.25 लाख रूपये व्यय होना प्रस्तावित है । परियोजना में तीन पायलट प्रोजेक्टस पिपराली खण्ड जिला सीकर, ओसिया–मण्डोर खण्ड जिला जोधपुर तथा खमनोर खण्ड जिला राजसमन्द में विभाग द्वारा किये गये कार्यो का विवरण निम्न प्रकार :–

भू जल विभाग द्वारा सीकर, जोधपुर व राजसमन्द जिलों के तीन क्षेत्रों क्रमशः पिप्राली पंचायत समिति, ओसिया–मन्डोर पंचायत समिति तथा खमनोर पंचायत समिति के आंशिक भागों में विश्व बैंक पोषित भू जल प्रबन्धन हेतु आरम्भ की गई पायलट परियोजना के अन्तर्गत बेस लाईन सर्वेक्षण हेतु सोशल एसेसमेन्ट तथा आई.ई.सी. कार्य हेतु कन्सलटेन्ट्स की सेवाऐं ली गई। पिपराली, खमनोर तथा ओसियां–मन्डोर पायलेट हेतु 3 एन.जी.ओ. की सेवाऐं भी ली गई। इसके अन्तर्गत अब तक तीनों परियोजना क्षेत्रों में 70 ग्राम पंचायत स्तरीय जल प्रबन्धन समितियों (जी.पी.एल.सी.) का गठन किया जा चुका है। पायलेट ऐरिया स्तरीय भू जल प्रबन्धन सेस्थाओं (जी.डब्ल्यू.एम.ए.)के गठन का कार्य भी किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों पायलेट परियोजना क्षेत्रों में दीर्घकालिक भू जल प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय भू जल प्रबन्धन समितियों द्वारा प्रस्तावित भू जल पुनर्भरण एवं भू जल की खपत में कमी लाने से सम्बन्धित कार्य किये जायेगें इसके अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भू जल पुनर्भरण हेतु संरचनाओं के निर्माण हेतु सिविल कार्य करवाये जायेगें। वर्ष 2010–11 में तीनों पायलट क्षेत्रों हेतु रू.773.179 लाख राशि के 325 कार्य जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत थे, पूर्ण किये जा चुके हैं। तथा इन कार्यो का निष्पादन ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों द्वारा भू जल विभाग के तकनीकि सहयोग से पूर्ण हो चुका है। वर्ष2010–11 तक इस प्रयोजना के अन्तर्गत तीनों पायलेट परियोजना क्षेत्रों में कुल राशि 2310.89 लाख का व्यय किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों जन भागीदार द्वारा क्रियान्वित की जा रही पायलट भू जल

प्रबन्धन परियोजनाओं के प्रयास की सफलता पश्चात् राज्य के अन्य जिलों में भी जन भागीदारी से भू जल प्रबन्धन के कार्य प्रारम्भ किये जा सकेगें।

आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी योजना का कार्यकाल मार्च 2013 तक बढ़ाया गया है जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कुल राशि रूपये 159.120 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

उरोपक्त कार्यो द्वारा पायलट क्षेत्रों में भू जल स्तर की गिरावट में कमी आना तथा उपलब्धता में वृद्धि होना अपेक्षित है।

इस परियोजना की क्रियान्विति हेतु वर्ष 2012–13 के आय–व्यय अनुमान में राशि 332.63 लाख रूपये (कमीटेड कार्य हेतु) व 2500 लाख रू. (नवीन कार्य) पानी के मीटर क्रय हेतु कुल राशि 2832.63 लाख रू. प्रावधान रखा गया है तथा संशोधित आय व्यय का अनुमान 2011–12 हेतु 159.20 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है।

तीनों पायलेट परियोजना क्षेत्र पिपराली,(सीकर), आसियां, (जोधपुर), एवं खमनोर, (राजसमन्द) के किसानों के समस्त ट्यूबवेलों पर पानी के मीटर लगवाया जाना प्रस्तावित है। पानी का मीटर लगने के उपरान्त किसान स्वयं के स्तर पर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके ट्यूबवेल से कितनी पानी का निकासी हुई है।

यूरोपियन येनियन–स्टेटपार्टनरशीप कार्यक्रम

यूरोपियन यूनियन – स्टेटपार्टनरशीप कार्यक्रम अन्तर्गत वर्तमान में भू–जल विभाग मे विभिन्न गतिविधियां सम्पादित की जा रही है। वर्ष 2010–11 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–जल सेक्टर में विभिन्न गतिविधियों हेतु कुल 163.89 लाख रूपये व्यय किये गये एवं वर्ष 2011–12 में कुल स्वीकृत राशि रू. 1127.00 लाख के विरूद्ध माह जनवरी, 2012 तक रू. 274.78 लाख का वास्तविक व्यय तथा आगामी 2 माह में रू.572.06 लाख का सम्भावित कुल व्यय 846.84 लाख रू. में किया जाना प्रस्तावित हुआ।

यूरोपिय यूनियन – स्टेटपार्टनरशीप प्रोगाम के अन्तर्गत भू–जल विभाग द्वारा मुख्य रूप से एक्वीफर मैपिंग, भू–जल मापन नेटवर्क की बेन्चमार्किंग, रसायन प्रयोगशालायों का अपग्रेडेशन, भूजल मापन नेटवर्क पर डिजिटल वाटर लेव रिकार्डर लगाना एवं आई.ई.सी. गतिविधियां सम्पादित की जा रही है।

कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पादित की जा रही गतिविधियों के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जारी जल नीति 2010 के अन्तर्गत भू–जल से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा एवं भूजल से संबंधित तकनीकि जानकारी वेब पर प्राप्त की जा सकेगी जिससे आमजन एवं कृषक स्वयं प्रति वर्ष उपलब्ध भू–जल बाबत जानकारी प्राप्त कर स्वयं के स्तर पर भू–जल संसाधनों को मैनेज कर सकेंगे एवं नीति निर्धारक भी उचित तौर योजनाएं बना सकेंगे।